

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

राजस्व वाद संख्या :- 101/2022

1. केवल कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन 40 एन.डी.आर, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

- - वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन 40 एन.डी.आर, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

2. अर्चना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन 40 एन.डी.आर, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

- - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 30/05/2022

वादीगण की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 40 एन.डी.आर के खाता स. 88/56 के प.न. 77/353(38) के किला न. 3/1/0.227, 3/2/0.026, 4/0.025, 4/3/0.186, 7/1/0.211, 8, 13, 14/1/0.211, 17/1/0.211, 18/1/0.228 की कुल 1.831 हैक्. कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैर मु. खाला कृषि भूमि में से वादी को 0.7895 हैक्. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/05/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.05.2022
(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा